न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस
राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./09/2015/जैसलमेर

अपीलांट — रेस्पोडेंटगण

राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार जैसलमेर। बनाम 1.मरियम पत्नी अब्दुला
2.अजीम पुत्र अब्दुला
3.दोरो खां पुत्र अब्दुला
4.जमालखां पुत्र अब्दुला
5.जिन्दुखां पुत्र अब्दुला
6.डूलेखां पुत्र अब्दुला
7.शकूरखां पुत्र अब्दुला सर्वे जातियान मुसलमान निवासीयान ग्राम पीथोड़ाई तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर जैसलमेर के राजस्व वाद संख्या 33/2014 बनवान मरियम वगै. बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.05.2015 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. श्री हरीराम चौधरी राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. वकील श्री अब्दुल रहमान मेहर रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः— 23.03.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय डिक्री पारित करने में पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यात्मक साक्ष्य के मूल्यांकन में भारी भूल की गई ओर तथ्यों के विपरित निष्कर्ष पारित किया गया हैं। ग्राम पीथोड़ाई के खसरा नम्बर 252, 257 का तुलनात्मक रजिस्टर में अंकित नहीं है जिसको वादी ने साबित नहीं किया हैं आवंटन आदेश का खसरा नं. 253 व वर्तमान खसरा संख्या 252, 257 खसरा बन्दोबस्त से साबित नहीं है व अस्थाई आवंटन 3 वर्ष के लिए वैध था 3 वर्ष पश्चात अपने आप निरस्त हो चुका था उसके पश्चात अपने आप निरस्त हो चुका था उसके पश्चात वादीगण ने कोई उजर ऐतराज नहीं पेश किया गया न ही मान्य न्यायालय द्वारा इस पर गौर किया गया हैं। बिना गौर किये अपीलाधीन निर्णय डिक्री पारित की गई जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि ग्राम पीथोड़ाई के खसरा नम्बर 252, 257 का तुलनात्मक रजिस्टर में अंकित नहीं है जिसको वादी ने साबित नहीं किया हैं आवंटन आदेश का खसरा नं. 253 व वर्तमान खसरा संख्या 252, 257

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

खसरा बन्दोबस्त से साबित नहीं है व अस्थाई आवंटन 3 वर्ष के लिए वैध था 3 वर्ष पश्चात अपने आप निरस्त हो चुका था उसके पश्चात अपने आप निरस्त हो चुका था। वाद पत्र में की गई कायमी तनकीयात को वादीगण साबित करने में रिकॉर्ड से असफल रहे हैं क्योकि मौजा भू में खसरा नम्बर 252, 257 का नया खसरा बनना व कब्जा करना वादी द्वारा साबित नहीं किया गया हैं। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। वादीगण का सन् 1966 के बाद नियमित काश्त गिरदावरी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है एवं नियमित काश्त होने का रेकर्ड उक्त पत्रावली में रिकार्ड पर नहीं है। इसलिए अब रेस्पोडेंट का इस भूमि पर कोई अधिकार नही है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट/वादीगण अतिक्रमी है एवं अतिक्रमी को राजकीय भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। समरी खसरा संख्या से वर्तमान खसरा संख्या बने हो ऐसा भी प्रमाणित नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि वादीगण मूल ग्राम पीथोड़ाई के निवासी है एवं अल्पसंख्यक व पिछड़ी जाति के है व गरीब काश्तकार है। वादीगण के पिता व पति श्री अब्दुला को ग्राम पीथोड़ाई में दिनांक 10.02.1966 को तहसीलदार के आदेश दिनांक 10.02.1966 के द्वारा ग्राम भू में 75 बीघा जमीन आवंटित की गई थी, जिसका कब्जा भी पटवारी हल्का द्वारा दिया गया। वक्त रेगुलर सेटलमेंट के खसरा नम्बर 253 रकबा 47.06 बीघा जमीन खातेदारी में दर्ज कर दी व शेष 27.15 बीघा जमीन खातेदारी में दर्ज न कर सिवायचक दर्ज कर दी, जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 252 रकबा 20.01 बीघा एवं खसरा नम्बर 257 में रकबा 37.10 बीघा में से 07.14 बीघा माफिक नक्शा में लाल रंग से जो वादीगण के पूर्वजों के आवंटित भूमि से जमीन कब्जा काश्त हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय की जानकारी देरी से होने व निर्णय डिक्री अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त कर इसका परीक्षण करवाने व जिला कलक्टर जैसलमेर से अपील के निर्देश प्राप्त करने में समय लगने एवं प्रार्थी का अन्य प्रशासनिक कार्यों में वयस्त होने से अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर पेश है एवं अपील पेश करने में हुए विलंब का कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया। अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे।

अपीलांट के कथनों पर विश्वास एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात अपील अन्दर मियाद शुमार कर निर्णय गुणावगुण पर करना ज्यादा न्यायोचित है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय ने पाया है कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी ग्राम भू संवत 2069 से 2072 खाता संख्या 01 खसरा संख्या 252, 257 रकबा 57.11 बीघा किस्म "बंजड़" दर्ज होकर राजकीय भूमि है। केवल मौखिक कथन कि वादग्रस्त भूमि पर उनका वक्त सेटलमेंट से कब्जा काश्त है, अभिलेखीय सबूतों के अभाव मे मान्य नहीं है। पत्रावली पर वर्तमान बंदोवस्त के पश्चात वादग्रस्त खसरे की भूमि पर वादीगण/रेस्पोडेंट का कभी भी कोई कब्जा काश्त होने का सबूत पत्रावली पर नहीं है। दावाकृत भूमि पर कब्जा काश्त के प्रमाण के अभाव में वादग्रस्त राजकीय भूमि पर खातेदारी अधिकार देने का कोई आधार नहीं है। दावा सद्भाविक एवं स्वच्छ हाथों से पेश नहीं किया गया है तथा राजकीय सिवायचक भूमि हड़पने की नियत से पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जैसलमेर के राजस्व वाद संख्या 33/2014 बनवान मरियम वगै. बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.05.2015 को अपास्त किया जाता है।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 23.03.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर